

Email

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक : 6/ग्रा0 ज0 1-101/2014(खण्ड) 269(काठ) पटना - 15 दिनांक : 10/11/17

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पूर्व / बेगुसराय।

विषय वर्ष 2017-18 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" वर्ष 2014-15 के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु 28.294 लाख रुपये (अठ्ठाईस लाख उनतीस हजार चार सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु विभागीय पत्रांक - 6/ग्रा0 ज0 1-101/2014 258 दिनांक - 28/01/15 द्वारा 25868.961 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017-18 के राज्य योजना अन्तर्गत इस योजना से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु 28.294 लाख रुपये (अठ्ठाईस लाख उनतीस हजार चार सौ रुपये) मात्र का आवंटन निम्न तालिका के अनुसारी किया जाता है।

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	पंचायतों की संख्या	भौतिक लक्ष्य	अंकों में	आवंटित राशि (लाख रुपये में)
						शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना	पटना पूर्व	116	580	7.294	सात लाख उनतीस हजार चार सौ रुपये मात्र।
2	बेगुसराय	बेगुसराय	231	1155	21.000	ईक्कीस लाख रुपये मात्र।
		कुल	347	1735	28.294	अठ्ठाईस लाख उनतीस हजार चार सौ रुपये मात्र।

2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष - 4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01 जल पूर्ति लघु शीर्ष - 789-अनुरूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मांग संख्या - 36 उप शीर्ष - 0111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवैल्स, कूप, नलकूप द्वारा) - विपत्र कोड - 36-4215017890111 - विषय शीर्ष - 0111.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वितीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

4. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।

5. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक - एग0 04 - 05/98 - 2561 (वि0 - 2) दिनांक - 17-04-98 के अधीन निकारसी हेतु विमुक्त है।

ke

B

6. कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारीख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

AVS
g. m. s.
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव

शासक : 969 (काठ)

पटना, दिनांक : 10/11/17

- प्रतिनिधि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / मुँगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. जिला पदाधिकारी, पटना / बेगुसराय / उप विकास आयुक्त, पटना / बेगुसराय को सूचनार्थ प्रेषित।
 4. कोषागार पदाधिकारी, पटना / बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 5. आपा सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
 6. सचिव के आपा सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यॉत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पटना / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (गो0) / अधीक्षण अभियन्ता, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, बेगुसराय / उप निदेशक (गू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (गो0-1) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकन) / प्रगारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी - 4, 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित रांचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

AVS
g. m. s.
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव

AVS

AVS